

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको-सेंसिटिव जोन के लिए बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 8 जनवरी। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के 26 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों सहित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईको सेंसिटिव जोन) के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी क्रम में राष्ट्रीय



राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के लिए आवश्यक आधारभूत (बेसलाइन) अध्ययन परामर्शदाता संस्था मेसर्स साईं कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि. द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई जोनल मास्टर प्लान की

मसौदा रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस मसौदा रिपोर्ट के परीक्षण, समीक्षा एवं सुझावों के लिए गुरूवार को कमिश्नर कार्यालय, चंबल संभाग के सभागार में आयुक्त चंबल संभाग श्री सुरेश कुमार को अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में श्योपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, डीएफओ सामान्य केएस रंधा, कूनों आर थिरूकुराल गूगल मीट के माध्यम से शामिल हुए। मुरैना में कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़, ग्वालियर के मुख्य वन संरक्षक ललित भारती, वनमंडलाधिकारी मुरैना हरीश चंद्र बघेल, कंसल्टेंसी की एनजीओ सैजल लोया सहित ईको-सेंसिटिव जोन से जुड़े

संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। इसके साथ ही भिण्ड कलेक्टर किरोडी लाल मीणा भी वचुंअली बैठक में शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर सुरेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का ईको-सेंसिटिव जोन पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है तथा इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित, संतुलित एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जोनल मास्टर प्लान स्पष्ट, व्यावहारिक एवं क्षेत्र-विशेष आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेसलाइन सर्वे की संपूर्ण जानकारी संबंधित तीनों जिलों के कलेक्टरों के साथ साझा की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन से गांव एवं क्षेत्र ईको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके साथ ही, सभी प्रभावित हितधारकों की विस्तृत सूची तैयार कर उनका स्पष्ट उल्लेख मास्टर प्लान में किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ईएसजेड क्षेत्र की गांव-वार एवं सर्वे नंबर-वार मैपिंग की जाए तथा रेवेन्यू मैप के साथ इसका समन्वय सुनिश्चित किया जाए। संबंधित राजस्व विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय

स्थापित कर कंट्रू मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे भविष्य की योजना निर्माण प्रक्रिया में सहूलियत हो सके। प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी कलेक्टरों द्वारा रिकॉर्ड में फीड की जाए, ताकि दीर्घकालिक योजना तैयार करने में सुविधा मिल सके।

कमिश्नर सुरेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम योजना को स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्तावित गतिविधियों की सटीक मैपिंग अनिवार्य रूप से की जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के बीच संतुलन बना रहे।

इस अवसर पर अहमदाबाद की परामर्शदाता कंपनी द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ईएसजेड क्षेत्र एवं

उसके आसपास प्रस्तावित विकास गतिविधियों, अनुमत कार्यों एवं प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के विकास हेतु सुझाई गई गाइडलाइंस, पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप होंगी, जिससे जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ सतत पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण अंतर्गत ईको सेसेटिव जोन में श्योपुर जिले का लगभग 135 किलोमीटर चंबल नदी का एरिया शामिल होगा, जिसमें जिले के 102 ग्राम सम्मिलित रहेंगे।

संभावित पर्यटन गतिविधियों पर की गई चर्चा

बैठक के दौरान संभावित पर्यटन गतिविधियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसमें लो-इम्पैक्ट टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, सोशियो-फैरेस्ट्री, इको-प्रेडली रिसोर्ट गतिविधियाँ, नेचर ट्रेल एवं पाथवे निर्माण, सीमित एवं नियंत्रित जल-आधारित गतिविधियाँ, पर्यटन सहायक अधोसंरचना का विकास, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट तथा चयनित क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु सड़क चौड़ीकरण एवं बस स्टॉप के प्रोत्साहन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों एवं टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए जोनल मास्टर प्लान की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह परियोजना मध्यप्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सतत एवं जिम्मेदार विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

पाले से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को सलाह

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 8 जनवरी। रबी फसलों हेतु जनवरी माह में शीतलहर का दौरा शुरू है। शीतलहर के कारण पौधे की पत्तियां व फूल झुलसते हैं, बाद में झड़ जाते हैं। शीतलहर का अत्यधिक असर दलहनी-तिलहनी, धनिया, मटर व आलू की फसलों पर पड़ता है। रात के समय तापमान 4-5 डिग्री या इससे कम होता है तब धरातल के आसपास व फसलों-पौधों की पत्तियों पर बर्फकी पतली परत जम जाती है। इसी परत को पाला कहते हैं। पौधों की पत्तियों पर पाले का प्रकोप रात 12 से सुबह 4 बजे के

बीच अधिकांश होता है। पाले से प्रभावित फसल व पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंद जमा हो जाती है, पत्तियों की कोशिका भित्री फट जाती है जिससे पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं। **पाले से बचाव के उपाय :** किसान भाईयों को पाले से फसलों की सुरक्षा एवं सतकता हेतु सलाह दी जाती है, कि रात्रि में खेत की मेड़ों पर लगभग 6 से 8 स्थानों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुआं करें। यह प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि धुआं सारे खेत में छा जाए तथा खेत के आसपास का तापमान 5 डिग्री

सेल्सियस तक आ जाए। इस प्रकार धुआं करने से फसल का पाले से बचाव किया जा सकता है। पाले की संभावना होने पर खेत की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है तथा नुकसान की मात्रा कम हो जाती है। सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए तथा इतनी ही करनी चाहिए जिससे खेत गोला हो जाए। रस्सी का उपयोग भी पाले से काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए दो व्यक्ति सुबह-सुबह (जितनी जल्दी हो सके) एक लंबी रस्सी को उसके दोनों सिरों से पकड़ कर खेत के एक कोने से लेकर दूसरे

कोने तक फसल को हिलाते चलना है। इससे फसल पर रात का जमा पानी गिर जाता है तथा फसल की पाले से सुरक्षा हो जाती है।

इसके अतिरिक्त 8 से 10 कि.ग्रा. सल्फर डस्ट प्रति एकड़ का धुरकाव करें अथवा घुलनशील सल्फर 200 ग्राम या ग्लुकोस पाउडर 500 ग्राम या थायो यूरिया 500 ग्राम या पोटेशियम सल्फेट (0:0:50) 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त साइकोसिल 400 ग्राम,200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

जिले में कभी कभी कही कही पर मावठा गिरने की भी सम्भावना रहती है जिससे चना फसल में फूल गिरने की समस्या हो सकती है जिसके बचाव हेतु (एनएए) की 4.5 एमएल प्रति पंच छिड़काव करने से उक्त समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाई फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण का भी विशेष ध्यान रखे। अधिक जानकारी के लिए आपके क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारीध्यामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं तकनीकी सलाह हेतु नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।

स्कूलों एवं महाविद्यालयों में नाम जोड़ने शिविर 9 एवं 10 को

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 8 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा के मार्गदर्शन में निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने हेतु जिले के सभी हायर सैकेण्डरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में 9 एवं 10 जनवरी को शिविर आयोजित किये जायेंगे।

इन शिविरो के माध्यम से ऐसे युवा जिनके नाम 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में नही है,

उनके नाम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने की पात्रता के आधार पर जोड़े जायेंगे।

जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा द्वारा स्कूलों एवं महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले कैम्प के लिए जिला

पंचायत सीईओ सुश्री सौम्या आनंद को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रभारी प्राचार्य डॉ ओपी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण राकेश गुप्ता, सहायक प्राध्यापक शासकीय कन्या महाविद्यालय श्यामलाल बामनिया एवं प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अर्जित कुमार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।



एक नजर में



इकलौद में एसआईआर के तहत घर घर जाकर वोटरलिस्ट देखी विजयपुर, 8 जनवरी। ग्राम पंचायत इकलौद के पोलिंग बूथों पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भरत जादीन एवं मंडल मंत्री ललित देवीलतिय ने सड़कके तहत घर घर जाकर वोटो का मिलान किया तथा इससे मतदाताओं को भी अवगत कराया तथा छूटे नाम? जोड़े जाएंगे ब्रह्म नीतू सिंहल, से नाम बढाने पर चर्चा हुई सभी -स्टांप मिडिया स्कूल इकलौद विनोद दीक्षित, संजय शर्मा ,बुजरज सिंह परमार, बनवारी लाल शर्मा, घनश्याम शर्मा एवं ग्राम वासी बुजेश दीक्षित ,राजेंद्र श्रीवास, लाल सारस्वत , पंकज दीक्षित,अमित जादीन, अतूल जादीन, अनू जादीन,रामसेवक बंसल, हरी राठीर सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

शिवनगर फीडर से 9 को बंद रहेगी विद्युत की आपूर्ति श्योपुर। श्योपुर शहर विवरण केन्द्र अंतर्गत 11 केव्ही लाइनों पर पोस्ट मानसून मंटीनेस कार्य के चलते शिवनगर फीडर से 09 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक विधुत की आपूर्ति बंद रहेगी। प्रबंधक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी वितरण केन्द्र श्योपुर शहर ने जानकारी दी कि इसके चलते विकास नगर, हाउसिंग बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय, शिवपुरी रोड चुगी-नाक तक, पटवारी कॉलोनी, शिवनगर कॉलोनी परिया में 09 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी।

बड़ौदा एवं श्योपुर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर नोटिस श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वर्मा द्वारा बड़ौदा एवं श्योपुर के शहरी क्षेत्र में 19 स्थानों पर अवैध रूप से कॉलोनियों के निर्माण किये जाने पर नोटिस जारी किये गये है, नोटिस का जवाब देने के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इन सर्वे नंबरों पर काटी गई कॉलोनियों में कच्ची मिट्टी मोरम की रोड डालकर छोटे-छोटे भूखण्ड के रूप में विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में सभी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 21 जनवरी की तिथि नियत की गई है, उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

दुर्घटना टालने वाले 15 रेलकर्मों सम्मानित भोपाल। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी द्वारा ड्यूटी के दौरान सतर्कता, सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्यवाही से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालने वाले 15 रेलकर्मियों को दिनांक 7 जनवरी 2026 को सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं संरक्षा नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सम्मानित रेलकर्मियों में इंटरसी के गुडस्ट ट्रेन मैनेजर राज कुमार पुरबिया, राहुल साहू, हरि प्रसाद अहिरवार, कमलेश कुमार अहिरवार, इंटरसी के ट्रेकमेन कन्हैया लाल, विशाल थातिया, बीना के ट्रेकमेन शिवराज सिंह, हेमराज अहिरवार, नर्मदापुरम के ट्रेकमेन गौरव कुमार, विदिशा के ट्रेकमेन अमित राजपूत, छपेरा के ट्रेकमेन सोहन लाल, अशोकनगर के प्लांटसमेन मनोज कुमार, बरखेड़ा के उप स्टेशन प्रबंधक शहजाद खान, चवोड़ा-बीना गंज के उप स्टेशन प्रबंधक राहुल कुमार मीना एवं व्यावरा राजगढ़ के प्लांटसमेन हरिओम जाटव शामिल हैं। इन रेलकर्मियों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में रेल फ्रैक्चर, हॉट एक्सल, धुआं निकलते वैगन, ओवरचर्ड ट्रिप, क्रैक एवं अन्य असामान्य परिस्थितियों को समय रहते पहचान कर अधिकारियों को सूचित किया तथा ट्रेनों को सुरक्षित रूप से रोका।



बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 8 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम एवं जन-जागरूकता हेतु विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम गोरस, बावड़ीचापा, नयागांव लाखा, रामपुरा डांग, मानपुर, दांतरदा एवं वाई क्रमांक 9 श्योपुर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अम्ब एवं



सहायक संचालक रिशु सुमन के निर्देशन में ग्राम गोरस,

बावड़ीचापा, नयागांव लाखा, रामपुरा डांग, मानपुर, दांतरदा एवं



बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ग्रामीणजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विवाह की वैधानिक आयु की जानकारी दी गई। बताया गया कि लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है और इसी आयु के बाद विवाह किया जाना कानूनन आवश्यक है।

कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि बाल विवाह करने या उसमें सहयोग करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष तक के कारावास का

प्रावधान है। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित ग्रामीण जनों को शपथ दिलाई गई कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह में सहयोग नहीं करेंगे तथा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।

इन कार्यक्रमों में बाल कल्याण समिति के सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय पर्ववैश्वक, विद्यालयों के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अल्फा स्कूल में कॉलेज चलो अभियान आयोजित



नवभारत न्यूज श्योपुर, 8 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत को शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर की टीम द्वारा अल्पम हायर सेकेण्डरी स्कूल श्योपुर में कॉलेज चलो अभियान के तहत विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं

को इस अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया तथा कार्यक्रम नोडल अधिकारी ने विद्यार्थियों को इस हेतु ऑनलाइन प्रवेश एवं एनईपी-2020 एवं 2025 के अन्तर्गत विषय चयन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

टीम संयोजक एवं समस्त सदस्यों ने शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय में विभाग द्वारा संचालित 2 विशेष विषयों भू-गर्भ शास्त्र व सांख्यिकी के साथ-साथ

सभी पाठ्यक्रमों, शासन की विभिन्न योजनाओं, अन्य पाठ्य-सहगामी गतिविधियों, कौशल व व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं व जॉब सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए संचालित स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ, एनएसएस इकाई व महाविद्यालय में उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधनों व अन्य जानकारी से भी विद्यार्थियों को अवगत कराया। अभियान रूपी इस कार्यक्रम के अन्त में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन एवं जॉब सम्बन्धी पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर सम्पूर्ण टीम ने उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया।

अभियान के दल में आज श्रीमती वेदांकी खण्डेलवाल, डॉ. परवीन वर्मा, खेमराज आर्य, डॉ. योगेश कुमार बाथम, डॉ. मनीष सेनी एवं डॉ. महेश कुमार कुशवाह शामिल रहे।

सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल. प्रदेश में कोविड काल से ही सरकारी कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाद में सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया था.

लेकिन दूसरे कार्यालय तो छोड़ दें, मंत्रालय में ही अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर नहीं पहुंचते. लिहाजा अब आने वाले दिनों में इस मामले में सख्ती हो सकती है और सरकारी कार्यालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया जा सकता है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इस संबंध में संकेत दिये हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बड़ी बैठक की. बैठक में वर्ष 2026 के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध

में विचार-विमर्श किया गया, बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित पुलिस तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, इस दौरान बैठक में सीएम ने कहा कि कोविड काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है।

इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाना और सभी के द्वारा उसका अनुसरण आवश्यक है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है, इसके लिए बायोमैट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए, इससे अनुशासन के साथ कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 12 जनवरी से 31 मार्च संकल्प

से समाधान अभियान-वन आरंभ किया जा रहा है. यह अभियान 106 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि शिविरों में प्राप्त समस्त आवेदनों का अंतिम निराकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से हो. अभियान के प्रथम चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक घर-घर जाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. द्वितीय चरण 16 फरवरी से 16 मार्च तक आयोजित होगा, इसमें क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. तृतीय चरण 16 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा, इसमें ब्लॉक स्तर पर अनिराकृत शेष आवेदन, शिकायतों और नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा. चतुर्थ चरण जिला स्तर पर 26 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर समस्त अनिराकृत शेष आवेदन व शिकायतों और नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा.